हरिभूमि
रायपुर मुख्य संस्करण - Page 2
11 July 2025

आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ महिला की अपील खारिज

हरिभूमि न्यूज ⏭ बिलासपुर

हाईकोर्ट ने एक मामले में आजीवन कारावास की सजा खिलाफ महिला की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी महिला की तरफ से तर्क दिया गया कि वह खुद भी पीड़िता है। सालों से मानसिक रूप से अस्थिर थी। इसके अलावा उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, जबकि राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि घटनास्थल पर बरामद सामान, सुसाईट नोट, मेडिकल रिपोर्ट और महिला के बयान से स्पष्ट है कि वारदात उसने ही की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरू की डिवीजन बैंच ने अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। सभी साक्ष्य आपस में जुड़कर एक ऐसी श्रृंखला बनाते हैं जो संदेह से परे अपराध को साबित करते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट का निर्णय सही है और इसमें हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल महासमुंद के लमकेनी निवासी शिक्षक जनकराम साहू ने 20 दिसंबर 2017 को पुलिस को बताया कि उनके किराएदार ईश्वर पांडे की पत्नी और बेटियां घर के अंदर खून से लथपथ पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों लड़कियां मृत मिलीं और उनकी मां यमुना गंभीर रूप से घायल थी। घटनास्थल से चाकू, ब्लैड, मोबाइल, सुसाइड नोट बरामद किया गया था।